**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या: *22**

**दिनांक 21 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु उपाय**

**22 श्री नीरज शेखरः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में आज की तिथि तक देश में प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए आवंटित, निर्गत तथा प्रयुक्त निधि का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री**

**(श्री जगत प्रकाश नड्डा)**

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**दिनांक 21 जुलाई, 2026 के राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या *22 के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) और (ख): 'जन स्वास्थ्य' और 'अस्पताल' राज्य के विषय हैं, इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने सहित स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) देश भर में स्वास्थ्य अवसंरचना स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों, में मानव संसाधनों में सुधार करने तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता एवं पहुंच को बेहतर बनाने के लिए सहायता प्रदान करता है। एनएचएम के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1.86 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) के माध्यम से उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ बनाकर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं, गैर-संक्रामक रोगों, संक्रामक रोगों, वृद्धावस्था और उपशामक परिचर्या, मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या, मुख संबंधी स्वास्थ्य, नेत्र और ईएनटी परिचर्या और बुनियादी आपातकालीन परिचर्या सहित अनेक सेवाओं के लिए निवारक, प्रोत्साहक, पुनर्वास और उपचारात्मक परिचर्या प्रदान करते हैं। एएएम में स्वास्थ्य सत्र भी आयोजित किए जाते हैं।

भारत सरकार द्वारा निःशुल्क औषधि एवं निःशुल्क निदान सेवा पहल के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उप स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी-एएएम) स्तर पर 113 औषधियों और 14 निदान परीक्षणों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी-एएएम) स्तर पर 179 औषधियों और 63 परीक्षणों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कार्यरत एएएम केंद्रों पर टेली-परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों के लिए भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) विकसित किए गए हैं जो सेवाओं, बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, निदान, उपकरण और दवाओं आदि के लिए मानकों सहित एकसमान मानदंड प्रदान करते हैं, जिनका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार करना है। जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उसे बढ़ाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) भी इस मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए हैं।

एनएचएम के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) के लिए सहायता प्रदान की जाती है ताकि सेवाओं की कमी वाले दुर्गम भूभाग वाले दूरदराज के गांवों में आउटरीच सेवाएं प्रदान की जा सकें।

देश भर में रोगियों, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं को घर से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों तक लाने-ले जाने के लिए राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के तहत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के

अंतर्गत उन्नत जीवन रक्षक (एएलएस), बुनियादी जीवन रक्षक (बीएलएस), रोगी परिवहन वाहन (पीटीवी), नाव एम्बुलेंस, बाइक एम्बुलेंस और आपातकालीन रिस्पॉन्स वाहनों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभिम) एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है जिसमें कुछ केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) घटक शामिल हैं, जिसे स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी, जन स्वास्थ्य कार्य और स्वास्थ्य अनुसंधान को एकीकृत करने वाले सुधारों के माध्यम से भारत की जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए लागू किया गया है, जिससे महामारियों और अन्य जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों में प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने के लिए जन स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता में वृद्धि हो सके।

(ग): वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और पीएम अभिम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय निर्गम और व्यय का विवरण क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में संलग्न है।

*****

अनुलग्नक- I

**वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान एनएचएम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केन्द्रीय निर्गम और व्यय**

रुपये करोड़ में

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2023- 24 | | 2024- 25 | | 2025- 26 | | 2026- 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | केंद्रीय निर्गम | व्यय | केंद्रीय निर्गम | व्यय | केंद्रीय निर्गम | व्यय | केंद्रीय निर्गम | व्यय |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 37.84 | 40.71 | 49.99 | 44.41 | 44.41 | 48.48 | 18.11 | 3.70 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 1,096.01 | 2,833.44 | 1,319.61 | 2,439.82 | 1,162.85 | 2,764.51 | 348.00 | 217.60 |
| 3 | अरूणाचल प्रदेश | 404.55 | 399.44 | 388.86 | 472.93 | 349.93 | 411.14 | 94.77 | 1.54 |
| 4 | असम | 2,257.06 | 2,626.87 | 2,076.25 | 2,607.54 | 2,318.22 | 2,601.84 | 563.71 | 177.20 |
| 5 | बिहार | 2,032.95 | 4,010.97 | 2,367.18 | 4,466.31 | 2,508.99 | 4,287.22 | 763.33 | 437.77 |
| 6 | चंडीगढ़ | 30.58 | 31.85 | 43.43 | 37.29 | 50.53 | 49.53 | 4.38 | 6.32 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 875.80 | 1,743.79 | 969.11 | 1,784.09 | 1,159.42 | 2,121.60 | 280.23 | 99.47 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 39.92 | 41.96 | 40.96 | 40.47 | 49.12 | 43.02 | 4.74 | 3.63 |
| 9 | दिल्ली | 150.54 | 338.41 | 240.39 | 365.44 | 346.34 | 547.04 | 41.00 | 38.95 |
| 10 | गोवा | 48.97 | 84.53 | 55.06 | 95.17 | 51.20 | 90.20 | 8.87 | 7.51 |
| 11 | गुजरात | 1,506.96 | 4,040.00 | 1,324.86 | 3,198.15 | 1,362.72 | 2,757.10 | 466.99 | 255.60 |
| 12 | हरियाणा | 524.01 | 1,221.41 | 562.49 | 1,127.06 | 636.01 | 1,402.07 | 192.21 | 141.48 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 470.36 | 629.76 | 523.70 | 654.52 | 572.05 | 653.43 | 83.94 | 47.74 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 805.22 | 956.95 | 1,040.76 | 1,110.30 | 1,017.14 | 1,180.71 | 163.53 | 74.61 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | झारखंड | 958.06 | 1,992.91 | 964.31 | 1,986.59 | 984.57 | 1,873.32 | 157.56 | 42.09 |
| 16 | कर्नाटक | 1,187.60 | 2,741.98 | 1,295.81 | 2,478.23 | 1,268.26 | 2,513.61 | 377.21 | 167.47 |
| 17 | केरल | 189.15 | 1,246.25 | 1,351.78 | 1,422.88 | 813.16 | 1,743.43 | 354.40 | 258.05 |
| 18 | लद्दाख | 120.44 | 119.67 | 135.98 | 150.50 | 142.24 | 138.98 | 35.71 | 9.63 |
| 19 | लक्षद्वीप | 3.79 | 7.10 | 9.68 | 10.00 | 12.94 | 10.40 | 3.92 | 1.84 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 2,545.68 | 5,202.61 | 2,430.91 | 5,225.77 | 3,047.35 | 5,628.05 | 842.13 | 541.27 |
| 21 | महाराष्ट्र | 2,729.30 | 5,001.70 | 2,417.95 | 4,364.86 | 2,496.92 | 5,149.77 | 946.48 | 511.05 |
| 22 | मणिपुर | 169.12 | 159.32 | 279.16 | 295.79 | 255.54 | 366.92 | 10.11 | 1.10 |
| 23 | मेघालय | 261.39 | 305.83 | 297.95 | 393.01 | 336.52 | 377.57 | 57.03 | 11.92 |
| 24 | मिजोरम | 134.42 | 179.84 | 159.96 | 174.67 | 179.13 | 206.88 | 16.22 | 1.02 |
| 25 | नागालैंड | 184.84 | 196.69 | 204.47 | 243.60 | 187.95 | 228.10 | 43.03 | 1.03 |
| 26 | ओडिशा | 1,901.77 | 3,356.68 | 1,916.79 | 3,585.01 | 1,760.71 | 4,330.21 | 458.98 | 258.52 |
| 27 | पुदुचेरी | 30.80 | 45.74 | 26.27 | 49.27 | 30.83 | 56.40 | 7.00 | 0.51 |
| 28 | पंजाब | 91.49 | 1,428.94 | 878.21 | 1,027.72 | 724.47 | 1,146.42 | 234.91 | 90.36 |
| 29 | राजस्थान | 2,785.46 | 4,350.63 | 2,398.62 | 4,772.33 | 2,360.80 | 4,540.21 | 456.70 | 220.62 |
| 30 | सिक्किम | 68.17 | 75.77 | 81.67 | 89.59 | 99.18 | 117.93 | 13.06 | 0.21 |
| 31 | तमिलनाडु | 1,996.06 | 3,104.16 | 1,742.67 | 3,461.74 | 1,714.44 | 3,191.61 | 571.60 | 163.88 |
| 32 | तेलंगाना | 564.93 | 1,288.75 | 1,110.43 | 1,872.42 | 868.92 | 1,452.06 | 243.99 | 127.75 |
| 33 | त्रिपुरा | 264.31 | 309.62 | 268.67 | 279.35 | 331.00 | 382.15 | 55.97 | 27.64 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 4,928.14 | 10,572.60 | 5,853.43 | 10,377.16 | 5,686.12 | 11,069.32 | 1,584.74 | 675.28 |
| 35 | उत्तराखंड | 711.33 | 709.79 | 604.05 | 760.15 | 620.69 | 722.30 | 271.72 | 104.08 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 890.42 | 3,641.98 | 688.44 | 3,583.07 | 1,324.66 | 3,588.42 | 349.09 | 223.74 |

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त निर्गम केन्द्र सरकार के अनुदान से संबंधित है और इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केन्द्रीय निर्गम 13.07.2026 तक अद्यतन और अनंतिम है।

2. व्यय में वर्ष के प्रारंभ में केंद्रीय निर्गम, राज्य निर्गम और खर्च नहीं की गई बकाया धन राशि के प्रति किया गया व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जमा किए गए एफएमआर के अनुसार है और यह अनंतिम है। खर्च दिनांक 31.05.2026 तक अद्यतन किया गया है।

**अनुलग्नक-II**

**वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान पीएम-अभिम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केन्द्रीय निर्गम और व्यय**

रुपये करोड़ में

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2023-24 | | 2024-25 | | 2025-26 | | 2026-27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | केंद्रीय निर्गम | व्यय | केंद्रीय निर्गम | व्यय | केंद्रीय निर्गम | व्यय | केंद्रीय निर्गम | व्यय |
| 1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 1.57 | 6.77 | 2.76 | 0.00# | 2.59 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 35.78 | 28.85 | 39.07 | 65.16 | 59.32 | 98.86 | 18.57 | 0.59 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 8.83 | 2.25 | 1.05 | 2.44 | 0.88 | 0.98 | 7.0 | 0.00 |
| 4 | असम | 91.45 | 68.45 | 159.61 | 177.34 | 164.17 | 209.85 | 29.85 | 0.00 |
| 5 | बिहार | 0.00 | 50.69 | 15.92 | 185.61 | 76.85 | 128.08 | 50.00 | 0.00 |
| 6 | चंडीगढ़ | 10.38 | 5.83 | 5.13 | 6.34 | 5.13 | 8.75 | 0.00# | 0.00 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 32.23 | 19.64 | 18.63 | 31.05 | 32.78 | 55.33 | 11.08 | 0.00 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 0.28 | 0.21 | 0.53 | 0.51 | 7.18 | 1.02 | 0.00# | 5.94 |
| 9 | दिल्ली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.85 | 7.09 | 5.10 | 0.27 |
| 10 | गोवा | 3.75 | 0.00 | 0.10 | 0.21 | 0.61 | 1.06 | 0.42 | 0.00 |
| 11 | गुजरात | 46.04 | 56.13 | 79.38 | 146.63 | 100.52 | 167.54 | 6.29 | 0.00 |
| 12 | हरियाणा | 17.67 | 16.63 | 36.00 | 88.63 | 19.19 | 32.73 | 40.00 | 0.00 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 15.69 | 15.27 | 44.81 | 52.92 | 93.27 | 103.63 | 15.67 | 0.00 |
| 14 | जम्मू एवं कश्मीर | 44.01 | 36.67 | 60.44 | 63.71 | 49.69 | 89.56 | 60.25 | 0.00 |
| 15 | झारखंड | 102.27 | 454.05 | 65.27 | 289.16 | 89.02 | 148.37 | 75.00 | 0.00 |
| 16 | कर्नाटक | 100.57 | 104.47 | 118.91 | 198.19 | 199.75 | 332.91 | 9.70 | 0.00 |
| 17 | केरल | 0.00 | 36.66 | 24.58 | 36.15 | 26.45 | 44.08 | 7.97 | 0.00 |
| 18 | लद्दाख | 0.62 | 0.31 | 0.62 | 0.62 | 1.03 | 0.93 | 0.31 | 0.00 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.51 | 0.32 | 0.29 | 0.00# | 0.01 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | मध्य प्रदेश | 228.52 | 300.93 | 63.19 | 295.14 | 130.42 | 227.36 | 11.67 | 0.00 |
| 21 | महाराष्ट्र | 31.76 | 34.47 | 65.48 | 86.82 | 221.13 | 368.56 | 87.83 | 0.00 |
| 22 | मणिपुर | 13.78 | 16.89 | 5.74 | 21.20 | 8.77 | 13.37 | 5.65 | 0.00 |
| 23 | मेघालय | 4.42 | 28.02 | 10.50 | 27.34 | 23.03 | 25.12 | 4.83 | 0.00 |
| 24 | मिजोरम | 4.52 | 1.32 | 3.82 | 7.27 | 2.05 | 4.23 | 0.12 | 0.00 |
| 25 | नागालैंड | 4.42 | 0.60 | 0.00 | 1.71 | 3.30 | 6.57 | 6.21 | 0.00 |
| 26 | ओडिशा | 171.58 | 423.43 | 149.05 | 248.42 | 137.19 | 228.65 | 21.42 | 0.00 |
| 27 | पुदुचेरी | 2.67 | 2.88 | 2.50 | 4.28 | 9.00 | 13.76 | 2.12 | 0.18 |
| 28 | पंजाब | 0.00 | 2.07 | 8.92 | 45.33 | 71.66 | 119.44 | 17.73 | 3.28 |
| 29 | राजस्थान | 173.06 | 280.43 | 157.76 | 262.93 | 189.31 | 315.51 | 53.68 | 0.09 |
| 30 | सिक्किम | 3.88 | 2.05 | 1.67 | 3.74 | 4.90 | 5.54 | 2.97 | 1.01 |
| 31 | तमिलनाडु | 279.36 | 389.37 | 224.99 | 512.33 | 172.51 | 283.44 | 23.45 | 0.00 |
| 32 | तेलंगाना | 95.21 | 141.73 | 208.82 | 348.04 | 151.12 | 251.87 | 60.10 | 0.00 |
| 33 | त्रिपुरा | 2.48 | 1.43 | 2.12 | 2.94 | 3.57 | 3.83 | 0.50 | 0.58 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 247.96 | 252.69 | 400.95 | 544.74 | 211.88 | 511.46 | 9.57 | 0.00 |
| 35 | उत्तराखंड | 0.00 | 16.35 | 26.89 | 31.07 | 33.88 | 37.65 | 37.50 | 0.00 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 30.91 | 49.78 | 78.40 | 92.35 | 91.42 | 152.37 | 4.31 | 0.00 |

टिप्पणी:

1 उपर्युक्त निर्गम केन्द्र सरकार के अनुदान से संबंधित है और इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केन्द्रीय निर्गम 13.07.2026 तक अद्यतन और अनंतिम है।

2 व्यय में वर्ष के प्रारंभ में केंद्रीय निर्गम, राज्य निर्गम और खर्च नहीं की गई बकाया धन राशि के प्रति किया गया व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जमा किए गए एफएमआर के अनुसार है और यह अनंतिम है। खर्च वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए दिनांक 31.05.2026 तक अद्यतन किया गया है।

3 (**#**) अंडमान और निकोबार द्वीपह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के पास निधियां उपलब्ध है, आगे निधियां इनके उपयोग के बाद जारी की जाएंगी।

*******